बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 205098 पटना, दिनांक 14/10/14

ग्रा0वी0-5/इं0आ0यो0(NLM)-102-41/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

अररिया, दर्भंगा, गोपालगंज, ज़मुई, जहानाबाद, सहरसा, एवं सुपौल.

विषय: भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के NLM के द्वारा इन्दिरा आवास योजना (विशेष पैकेज) के संबंध में उठाए गए बिन्दुओ से संबन्धित Action Taken Report के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय ज्ञाप संख्या-168606 दिनांक-14.11.13, पत्रांक-169713 दिनांक-29.11.13, पत्रांक-185390 दिनांक 16.05.14,पत्रांक-187705 दिनांक-09.06.2014 एवं पत्रांक 199856 दिनांक-05.09.2014।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित मामले से संबन्धित भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त NLM के प्रतिवेदन में उठाए गए आपत्तियों का ब्योरा प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया था कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2014 तक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि विभाग स्तर से जिले से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते हुये भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके। किन्तु बार-बार स्मरण कराने तथा काफी समय बीत जाने के बाद भी आपके ज़िले से अबतक उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है जो खेदजनक है।

NLM के द्वारा पाया गया था कि वर्ष 2011 तक मत्र 66% लाभुको को शत प्रतिशत राशि प्राप्त हुई थी जबकी अन्य 34% लाभुको को दो साल बीत जाने के बाद भी पूरी राशि अप्राप्त थी। इनमे से कुछ लाभुको को प्रथम किश्त पांच साल पहले प्राप्त हो चुकी थी और इनको पूरी राशि प्राप्त होना चाहिये था और इनका आवास निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो जाना चाहिये था ।

NLM के द्वारा यह भी पाया गया कि जिन लाभुको को 2011 के बाद प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी थी, उनमे से केवल 35% लाभुको को ही पूरी राशि प्राप्त हुयी थी ।

अत: इस संबंध में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि जिन लाभुकों द्वारा 2011 तक प्रथम किश्त की प्राप्ति हुई थी, उनमे से कितने लाभुकों को पूरी राशि उपलब्ध कराई गयी? अगर पूरी राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी तो उसका क्या कारण था? शत प्रतिशत सहायता राशि प्राप्त होने के बाद कितने लाभुको ने अपने आवास निर्माण शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया है? अगर लाभूकों द्वारा मकान का निर्माण पूर्ण नही किये तो उनके खिलाफ क्या कारवाई की गयी? कारवाई के बाद, लाभूकों द्वारा आवास निर्माण कार्य किस स्तर तक किया गया? और कारवाई के बावजूद मकान निर्माण नहीं किए जाने पर कौन सी वैधानिक कारवाईकी गयी है?

अत: अनुरोध है कि विषय की महत्ता एवं गंभीरता को देखते हुये विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषीत NLM के प्रतिवेदन से संबंदित बिन्दुवार Action Taken Report दिनांक 18.10.2014 तक पतिवेदन रूप से विभाग को उपलब्ध करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)

सचिव 14/10/14

ज्ञापाँक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि - ज़िला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

14/10/14